



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 कार्तिक, 1944 (श०)

संख्या - 524 राँची, शुक्रवार,

4 नवम्बर, 2022 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

1 नवम्बर, 2022

विषय:-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत राज्य के सिविल सर्जनों तथा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य एवं अधीक्षक के उपयोग हेतु बाह्य स्रोत (Outsourcing) के माध्यम से वाहन रखते हुए इस्तेमाल करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ।

पत्रांक-07/बजट-1-47/2020-274(7)/ स्वा०--राज्य सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दृढ़ संकल्पित है। सिविल सर्जन को प्रखण्ड एवं अनुमण्डल/जिला स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ता है। साथ ही, उनके द्वारा समय-समय पर सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण भी किया जाता है। जिले में स्वास्थ्य विभाग के वरीयपदाधिकारी होने के नाते यह आवश्यक है कि उनका वाहन सदैव सुचारु अवस्था में रहे। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के अधीन सिविल सर्जनों को आवंटित वाहन लगभग 15 से 17 वर्ष पुराने हैं तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इन वाहनों की मरम्मत पर प्रत्येक वर्ष बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। मोटरयान निरीक्षक द्वारा इन्हें सेवा से

हटाने का परामर्श दिया जाता है, परन्तु वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में वाहनों को हटाया नहीं जा सका है।

उक्त को दृष्टिपथ रखते हुए सिविल सर्जन सिमडेगा, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, जामताड़ा, राँची, पलामू, दुमका, साहेबगंज, गढ़वा, बोकारो, खूँटी, देवघर, गोड्डा, जमशेदपुर, सरायकेला, लोहरदगा, लातेहार, चाईबासा, पाकुड़, गिरिडीह एवं गुमला के लिए बाह्य स्रोत से वाहन रखते हुए इस्तेमाल करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्य में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के निमित्त 3 नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, यथा-फुलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दुमका, शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हजारीबाग तथा मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पलामू खोले गए हैं। एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर तथा शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद पूर्व से कार्यरत हैं। इन पाँचों चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ छात्रों को चिकित्सा शिक्षा भी उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा स्थापित इन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य एवं अधीक्षकों को वाहन आवंटित नहीं है, जिसके कारण प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों के निष्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इनके लिए भी बाह्य स्रोत से वाहन रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, इन चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं को आवश्यक क्षेत्रीय परिभ्रमण हेतु भी कोई वाहन उपलब्ध नहीं है, जिस परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में बाह्य स्रोत से प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय हेतु दो-दो 52 सीटर बसें रखते हुए इस्तेमाल करने की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3296/वि0 दिनांक 15.09.2014 की कंडिका-7 में अंकित प्रावधान के आलोक में कुल 44 वाहन (बोलेरो-34+ बस-10) बाह्य स्रोत के माध्यम से वाहन रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। (परिशिष्ट- I संलग्न)

सिविल सर्जन तथा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अधीक्षकों को उक्त संकल्प की कंडिका-02 के क्रम संख्या-02 में अंकित वाहन, यथा बोलेरो वाहन ही अनुमान्य होंगे। बाह्य स्रोत से रखे जाने के पश्चात् पुराने वाहन कण्डम घोषित कर दिए जाएंगे। बाह्य स्रोत से रखने वाले वाहनों के व्यय का विकलन संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत किया जाएगा।

विभागीय संलेख ज्ञापांक 215(7) दिनांक 12.09.2022 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29.09.2022 में मद संख्या 03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट- I

(वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3295/वि0, दिनांक 15.09.2014 के अनुसार)

क्रम सं०	पदनाम	अनुमान्यता
01	सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड	बोलेरो गाड़ी (वाह्य श्रोत से)
02	अधीक्षक, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, जमशेदपुर	बोलेरो गाड़ी (वाह्य श्रोत से)
	प्राचार्य, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर	बोलेरो गाड़ी (वाह्य श्रोत से)
03	अधीक्षक शहीद निर्मल महतो, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, धनबाद	बोलेरो गाड़ी (वाह्य श्रोत से)
	प्राचार्य, शहीद निर्मल महतो, मेडिकल कॉलेज, धनबाद	बोलेरो गाड़ी (वाह्य श्रोत से)
04	अधीक्षक फुलोझानो, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, दुमका	बोलेरो गाड़ी (वाह्य श्रोत से)
	प्राचार्य, फुलोझानो, मेडिकल, अस्पताल, दुमका	बोलेरो गाड़ी (वाह्य श्रोत से)
05	अधीक्षक मेदिनीराय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, पलामू	बोलेरो गाड़ी (वाह्य श्रोत से)
	प्राचार्य, मेदिनीराय, मेडिकल कॉलेज, पलामू	बोलेरो गाड़ी (वाह्य श्रोत से)
06	अधीक्षक शेख भिखारी, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, हजारीबाग	बोलेरो गाड़ी (वाह्य श्रोत से)
	प्राचार्य, शेख भिखारी, मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग	बोलेरो गाड़ी (वाह्य श्रोत से)
07	एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, जमशेदपुर	बस (52 सीटो वाला, वाह्य श्रोत से)
08	शहीद निर्मल महतो, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, धनबाद	बस (52 सीटो वाला, वाह्य श्रोत से)
09	फुलोझानो, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, दुमका	बस (52 सीटो वाला, वाह्य श्रोत से)
10	मेदिनीराय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, पलामू	बस (52 सीटो वाला, वाह्य श्रोत से)
11	शेख भिखारी, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, हजारीबाग	बस (52 सीटो वाला, वाह्य श्रोत से)

अरुण कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव
